(d) by when they would be posted in Delhi?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI M.M. JACOB): (a) Non-Gazetted personnels of CRPF who are on the verge of retirement are considered for choice/home posting to the extent administratively possible to enable them to sort out their domestic problems on the following conditions:—

(i) such personnel are adjusted within the prescribed limit of 50% strength of natives in a particular Group Centre.

(ii) The individual has not availed static postings during the proceeding 3 years.

(iii) The period of such postings should not normally exceed 2 years.

However, no such facility has been extended to gazetted officers of CRPF.

(b) Shri R. N. Yadav, Commandant, CRPF, is the only officer due to retire in 1994, who had applied in December, 1991 for his posting either to Delhi, Ajmer, Gandhinagar or Rampur.

(e) Sari R. N. Yadav had already remained posted in Delhi, and he was approved for posting out of Delhi prior to receipt of hi application for choice posting.

(d) Sari R. N. Yadav has joined the present place of posting on 17th January, 1992. He would be considered for choice posting at an appropriate time.

Rotational Posting in C.R.P.F.

253. SHRI SHIV PRATAP MISHRA : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) what are the details of the rule under which officers and other ranks in C.R.P.F. are not allowed to remain posted at one place for more than three years;

(b) what are the names of the officers of the rank of Asstt., Commandant, II-Ic (two IC), and Commandant, who have remained posted in Delhi for more than three years, by securing posting from one Delhi based battalion to another or to an office of C.R.P.F. in Delhi.

(c) the reasons for which such facility has been allowed to some officers particularly young officers at the cost of some officers with genuine difficulties; and

(d) whether Government propose to order an enquiry in the matter; if so, by when; and if not, the reasons therefor ?

TH MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI M.M. JACOB): (a) There is no rule which prevents posting of officers and personnel in other ranks in CRPF to remain posted at one place for more than three years.

(b) and (c) The following 7 officers have been posted in Delhi for more than 3 years for administrative/operational reasons or on compassionate grounds :—

(1) Shri S.C. Mishra, Commandant
(2) Shri B.R. Sharma, Commandant
(3) Shri Rajender Singh, Commandant
(4) Shri K.S. Rana, Commandant
(5) Shri R.K. Sharma, Commandant
(6) Shri S.P. Srivastava, Second-in-Command.
(7) Shri D.C. Pathak, Second-in Command.

(d) No, Sir. No enquiry is proposed since there has been no violation of rules or regulations in this matter.

भारत पाक सीमा का बन्द किया जाना

254. **डा० रत्नाकर पाण्डेय :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या केन्द्रीय सरकार सीमा पार से होने वाली आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए भारत पाक सीमा को पूरी तरह से बन्द करने हेतु किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जैकब) : (क) और (ख) भारत पाक सीमा के ऐसे चुने हुए स्थानों पर जहां से सीमा पार करने की संभावना अधिक है, वहां पर पंजाब की 356

किलोमीटर और राजस्थान की 202 किलोमीटर सीमा के साथ साथ बाढ़ लगा दी गई है । इसके अतिरिक्त, पंजाब में 392 किलोमीटर और राजस्थान में 237 किलोमीटर भाग में फ्लड लाईट लगा दी गई है । पंजाब और राजस्थान के शेष संवेदनशील भागों में फ्लड लाईट और बाढ़ लगाने के प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है ।

काश्मीर से पलायन करने वाले व्यक्ति

255. **डा० रत्नाकर पाण्डेय** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) काश्मीर से अब तक कितने लोग पलायन करके देश के विभिन्न भागों में सरकार द्वारा स्थापित किए गए शिविरों में रह रहे हैं; और

(ख) सरकार उनको क्या क्या सुविधायें उपलब्ध करा रही है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम०अँकब) : (क) और (ख) कश्मीर घाटी से अल्पसंख्यक समुदाय के 150,000 से अधिक व्यक्ति अधिकांशत: जम्मू और दिल्ली में आए हैं। कुछ परिवार अन्य राज्यों में भी चले गए हैं। जम्मू में 40,000 परिवार प्रवासियों के रूप में पंजीकृत हुए हैं, जब कि दिल्ली में 18,000 से अधिक परिवार पंजीकृत हुए हैं।

जम्मू में लगभग 6,000 परिवारों को टेंटों और निर्मित मकानों में रखा गया है। अन्य परिवारों ने आवास के लिए अपनी व्यवस्था स्वयं की है । जम्मू में पात्र परिवारों को, चार या चार से अधिक सदस्यों वाले प्रति परिवार को अधिकतम 1000 रु० की मासिक नकद राहत और प्रति व्यक्ति को एक महीने में 9 किलो ग्राम चावल, 2 किलोग्राम आटा और प्रत्येक परिवार को 1 किलो ग्राम चीनी दी जाती है । टेन्टों में, चारपाई, टेबल फैन और ग्राउन्ड सीट भी दी जाती है।

दिल्ली में, लगभग 1500 व्यक्ति शिविरों में रह रहे हैं, जबकि अन्य ने आवास के लिए अपनी व्यवस्था स्वयं की है शिविरों में रहने वालों को, चार या चार से अधिक सदस्यों वाले प्रति परिवार को अधिकतम 500 रु० की नगद सहायता मासिक आधार पर दी जाती है और 500 रु० की कीमत का मासिक राशन दिया जाता है । उन्हें एक समय खाना बनाने के लिए प्रयोग में आने वाले बर्तन और बिस्तर भी दिया गया ।

शिविरों से बाहर रहने वाले पात्र परिवारों को चार या इससे अधिक सदस्यों वाले प्रति परिवार को 1000 रु० की अधिकतम मासिक नकद सहायता दी जाती है ।

देश में श्रीलंका के शरणार्थियों की संख्या

256. **डा० रत्नाकर पाण्डेय** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय श्रीलंका मूल के कितने निवासी तमिलनाडु तथा देश के अन्य भागों में रह रहे हैं ;

(ख) श्रीलंका के शरणार्थियों के लिए चलाए जा रहे शिविरों की संख्या कितनी है ;

(ग) अब तक श्रीलंका मूल के कितने निवासी अपने देश वापिस जा चुके हैं ; और

(घ) इन लोगों के शीघ्र प्रत्यावर्तन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा तमिलनाडु सरकार को दिए गए निदेशों का ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० अँकब) : (क) इस समय तमिलनाडु और देश के अन्य भागों में लगभग 2,06,909 श्रीलंका के शरणार्थी रह रहे हैं ।